न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

ल नं. 2/285/2021 तारीख रजू...........................

सुनील कुमार बनाम आशा वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 न0 180, ग्राम टिटपुरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में मौके की यथास्थिति वनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 16.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 16.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
16/11/21	मुताबिक पेशी ... हाजिर ... पत्रावली दिनांक 3/12 ... को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/1/25	वकील पार्टी उपस्थित नहीं आये वकील व अन्य पार्टी को बार-2 आवाज दिलाई गई उपस्थित नहीं आया अतः पार्टी का प्रार्थना-पत्र मय वकील पार्टी के अदम पैरवी (अदम हाजरी) में इसे खारिज किया जाता है पत्रावली मैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जुमला बाद के साथ शामिल [illegible] हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	